

TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(11) OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 7.12.83

NOTIFICATION
INCOME TAX

Nb. 5502 (F.No.203/86/83-ITR.II): It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6 of the Income-tax Rules, 1962 under the category "College" in the area of other natural and applied sciences subject to the following conditions:-

- i) That the Regional Engineering College, Tiruchirappalli, will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research.
- ii) That the said College will furnish annual returns of its scientific research activities to the Prescribed Authority for every financial year in such forms as may be laid down and intimated to them for this purpose by 30th April each year.
- iii) That the said College will submit to the Prescribed Authority by 30th June each year a copy of their audited annual accounts showing their total income and expenditure and balance sheet showing its assets liabilities with a copy of each of these documents to the concerned Commissioner of Income-tax.

INSTITUTION

Regional Engineering College, Tiruchirappalli.

This notification is effective for a period of three years from 9-8-1983 to 8-8-1986.

Malik/


(M. G. C. GOYAL)
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

भारत के शासन के भाग II अध्याय 36 (112) प्रकाशनायक

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली,

7.12.83

अधिसूचना
(आयकर)

सं० 5502

(फस० सं० 203/86/83-अ० क० नि०-14)

: ~~सं० 5502~~

~~सं० 5502~~

~~सं० 5502~~

~~सं० 5502~~ सरकार द्वारा जारी की जानकारी के लिए एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात् विभाग और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था की आयकर नियम 1962 के नियम 6 के साथ मिलाकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप-धारा (1) के अंतर्गत (1) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राप्ति तथा अनुप्राप्त विभागों के क्षेत्र में "प्रतिफल" प्रदर्श के अधीन निम्नलिखित बातों पर अनुमोदित किया है, अर्थात् :-

1. यह कि **रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, तिसीबरापली, वैज्ञानिक अनुसंधान** के लिए उसके द्वारा प्राप्त राशियों का दायित्व लेना रहेगा।
2. यह कि उक्त **कालेज** अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी शिष्टाचारों की सर्वाधिक विवरणी, विहित प्राधिकारी के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक सेो प्रारम्भ में प्रस्तुत करेगी जो इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किया जाए और उसे सुरक्षित किया जाए।
3. यह कि उक्त **कालेज** अपनी कुल आय तथा व्यय दर्शाते हुए आने सम्परोक्षित वार्षिक लेजों की तथा अपनी पोषण-प्रतिष्ठा, हेतु-व्यय दर्शाते हुए तुलना-पत्र की एक-एक प्रति, प्रतिवर्ष विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी तथा इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक-एक प्रति संबंधित अधिकार अशुद्ध को भेजेगा।

50 वृत्त
तक

संख्या

रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, तिसीबरापली।

यह अधिसूचना 9-8-1983 से 8-8-1986 तक तीनों की अवधि के लिए प्रभावी है।

भारत सरकार
(सं० जी० सी० गोयल)
अवर सचिव, भारत सरकार